

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठारीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 308 सान 2019

अनवान :-

1. सुखराम पुत्र डालुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा हरील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. डालुराम पुत्र फुसाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भीमसेन पुत्र डालुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिष्ठत : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 09/09/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 33/32 के प०न० 0 मु०न० 76/2 की 0/2 की 0.114 हैक् गै०मु० रास्ता प०न० 324/377 (9) के किला न० 3/0.215 ,4/215 ,5/0.215 ,6 ता 8/0.759 ,13 ता 18/1.265 हैक् 23 ता 25/0.759 हैक् , कुल 3.7950 हैक् व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 33/32 के प०न० 330/383 (31) के किला न० 11 ता 13/0.759 हैक् , 14/0.253 ,16 ता 20/1.265 हैक् कुल 2.2510 हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता फुसाराम पुत्र निराणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किराी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहरा में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 33/32 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 33/32 कुल 2.2510हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 33/32 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 33/32 कुल 2.2510हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत नामान्तकरणों के अनुसार पूर्व में वाद भूमि वादी के दादा फुसाराम पुत्र निराणाराम के नाम से दर्ज थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता फुसाराम पुत्र निराणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या-1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 33/32 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 33/32 कुल 2.2510हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मोहर कोड नं. 16296

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाक्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. सुखराम पुत्र डालुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा हसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

- 1 डालूराम पुत्र फुसाराम जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 भीमसेन पुत्र डालुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 308 सन 2019 निर्णय दिनांक- 9/9/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 केएनएन के खाता संख्या 33/32 की कुल 3.7950हैक् व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 33/32 कुल 2.2510हैक् वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/9/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Can
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते